

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

संख्या-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा.प्र.10757, पटना-15, दिनांक 9.8.18
भारत संविधान के अनुच्छेद-320 के
खंड-3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल " बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-
सीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

- उक्त विनियमावली में विनियम-7(स) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ; यथा-
7(स) राज्य सेवाओं/संवर्गों के विभिन्न वेतनमान के पदों पर नियुक्तियों के मामलों में,
निम्नलिखित को छोड़कर, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा-
- (i) राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति;
परन्तु, सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक - पदों पर नियुक्तियों के मामलों में
आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा;
 - (ii) किसी भी सेवा/संवर्ग के उच्चतम वेतनमान के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति ;
 - (iii) किसी भी सेवा/संवर्ग के किसी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति;
परन्तु, यह अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की विभागाध्यक्ष के पद पर
नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के मामले में लागू नहीं होगा।
2. सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु चिकित्सक-पदों पर नियुक्ति के संबंध में विभिन्न
विभागों द्वारा अधिसूचित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
 3. यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09/8/18
(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा.प्र.10757/पटना-15, दिनांक-9.8.18
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ
प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य
प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

09/8/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा.प्र.10757/पटना-15, दिनांक-9.8.18
प्रतिलिपि:-राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना/उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग(सभी प्रशाखा) को सूचनार्थ
प्रेषित।

09/8/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा.प्र.10757/पटना-15, दिनांक-9.8.18
प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/8/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018.सा.प्र.10758 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 10757 दिनांक 09.08.18 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

Patna, Dated 09.08.18
No.-21/B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka-10758 In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957.

AMENDMENT

In the said Regulations, regulation-7(C) shall be substituted as below -

7(C) It shall not be necessary to consult the Public Service Commission in the case of Appointment to the Posts in different Scales of Pay in the State Services/ Cadres except in the following-

- (i) In the case of Appointment to the posts in the basic grade of the State Services/Cadres; provided that it shall not be necessary to consult the Commission in appointments to the posts of Assistant Engineer, Doctor and Veterinary Doctor;
- (ii) Appointment/Promotion to the post of Highest Scale of any Service/Cadre;
- (iii) Appointment/Promotion to the posts of any Head of the Department of any Service/Cadre;

Provided that, this will not apply in case of Appointments/Promotions of officers of All India Services to the Post of Head of the Department.

2. Provisions notified by the different Departments with regard to the appointment on the posts of Assistant Engineer, Doctor and Veterinary Doctor shall deemed to be amended up to this extent.
3. This will come in to force with immediate effect


By the order of the Governor,


09/8/18
(Amit Kumar)

Joint Secretary to Government.


No.-21/ B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka - 10758 Dated- 09.08.18

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copies to this Department.


09/8/18
Joint Secretary to Government


No.- B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka - 10758 Dated- 09.08.18

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Departments/Secretary, Bihar Public Service Commission/High Court, Patna/ A.G. Bihar, Patna/ General Administration Department (All Sections) for information.


09/8/18
Joint Secretary to Government

No.-21/ B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka - 10758 Dated- 09.08.18

Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.


09/8/18
Joint Secretary to Government